FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

घासीराम वगै0 बनाम फूलचन्द वगै0

किस्म मुकदमा:– दावा मुकदमा नम्बर:– 13 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
11.02.2019	वादीगण वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड. ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी पेशशुदा सम्मन तलबाना पर तामील जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 13.02.2019 को पेश हो।	
13.2.19	पत्रावली पेश हुई। वादी घासीराम उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 फूलचंद उपस्थित। जिनसे बार बार डिक्रीयर जारी बाबत अनुपस्थिति बयान कर हस्ताक्षर लिये। प्रकरण में राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है। अतः प्रकरण का विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार प्रकार है — वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 की ग्राम पंचायत में ख.नं. 112 रकबा 2.75 है. 1/3 – 1/3 हिस्सा, ख.नं. 108 रकबा 2.944 में वादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा व वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 - 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 92 रकबा 2.288 है व वादीगण 1 व 2 तथा ख.नं. 93 रकबा 0.85 है] में प्रतिवादी सं. 1 के गांव बराबर 1/8 - 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। ख.नं. 86, 94 बिघा 2 रकबा 5.438 है वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा बराबर-बराबर कुल 4/3 आता है।	Emilan पूर्णानन्द राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है। 13.02.19

धामीराम बनाम फूलचन्द वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	दावा सु०नं०-13/2019	

उभयपक्षीय संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक थी जिसका बँटवारा वादीगण ने पूर्व में 01.6.18 को कर लिया था। इसी वाद पत्र में उल्लेखित अनुसार वादीगण 1, 2 व प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा घोषित किया जावे व हिस्से में आयी भूमियों में अन्य काश्तकारों के नाम दर्ज किये जावें।

वादीगण 1 व 2 के बाद की इस्तगासा अनुसार प्रतिवादी नं. 1 को वाद लिखाने का अवसर देने पर राजस्व कारण से अन्यायिक पक्षकार होने के कारण हिन्दू परिवार की संयुक्त पैतृक भूमियां पृथ्वीपुरा (ग्रामदेवता गोगाजी धाम) के ख.नं. 112 रकबा 2.75 है. सम्पूर्ण प्रतिवादी नं. 1 के नाम, ख.नं. 108 की 1/2 भूमि (जो वादीगण 1 व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज है) वादी नं. 1 धामीराम के नाम, ख.नं. 92, 93 में पक्षकारान के नाम की सम्पूर्ण भूमि 1/2 हिस्सा को वादी नं. 2 जगदीश के नाम, ख.नं. 86 व 94 में प्रतिवादी 1 के (फूलचंद) के नाम दर्ज भूमि वादी नं. 2 जगदीश के नाम खातेदारी घोषित की जाती है उक्त भूमियों में फूलचंद के पक्षकारान में जो नाम है उन्हें हजफ किया जावे। इसी मांगी डिक्री के अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री पत्र जारी होवे पक्षकारान तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-2-19 को पक्षकारान धामीराम फूलचंद की उपस्थिति में सुनाया गया। पक्षकारान को लघु कारण होवे नकल की नकल दाखिल रजिस्टर रहे।

(ब्रज लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)